आज दिनांक 15.01.2019 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 95 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शैलेश बगोली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1. श्री शैलेश बगोली, आयुक्त,गढवाल मण्डल,	अध्यक्ष
2. डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मसूरी देरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3. श्री एल0एन0 पन्त, अपर सचिव, वित्त	सदस्य
4. श्री पी0सी0दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	सदस्य
5. श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
6. श्री एल0एम0कर्नाटक, अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून	सदस्य
7. श्री रविन्द्र कुमार दयाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य

सर्वप्रथम सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया गया। प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 95वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:–

विषय कमांक :–1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में 06 मदों में क्रमशः अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्यूटी, विविध व्यय आउटसोर्स वेजेज, वाहन मरम्मत व्यय व कानूनी व्यय में माह दिसम्बर 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक व्यय होने के कारण आगामी तीन माह के व्यय हेतु निम्न तालिका अनुसार मास्टर प्लान मद से उक्त मदों में बजट पुर्नर्विनियोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक :–2 प्राधिकरण की केडिट रेटिंग कराये जाने विषयक ।

बोर्ड अवगत हुआ।

विषय कमांक :–3 मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित 10 ग्रामों यथा 1. किशनपुर, 2. दूधली, 3. फान्दूवाला, 4. मोहम्मदपुर बड़कली, 5. नागल बुलन्दावाला, 6. नागल ज्वालापुर, 7. सिमलास ग्रान्ट, 8. विधौली, 9. खाराखेत, 10. चौकी हेतु प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर कमेटी द्वारा पूर्ण की गयी सुनवाई आख्या के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक :–4 भूमि खसरा सं0 496क, ख, कुल रकबा 332.00 वर्गमीटर ग्राम किरसाली देहरादून का भू–उपयोग कृषि भूमि से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रकरण शासन को एकल आवासीय भवन निर्माण हेतु भू–उपयोग आवासीय करने हेतु सन्दर्भित किया जाये। यह भी निर्णय निर्णय लिया गया कि कृषि भू–उपयोग अर्न्तगत क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के एकल आवासीय मानचित्रो की स्वीकृति के सन्दर्भ में सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक कमेटी गठित की गयी:–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
2. नगर नियोजक, एम0डी0डी0ए0
3. श्री एच0सी0एस0राणा, अधीक्षण अभियंता

उक्त कमेटी आगामी बोर्ड बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

विषय कमांक :–5 महायोजना में दर्शित भू–उपयोग स्थित ग्राम तरला नांगल परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून के भू–उपयोग मनोरंजन से आवासीय में किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिटी पार्क भू–उपयोग अर्न्तगत व्यक्तिगत प्रकरणों के बजाय सामूहिक रूप से नीति बनाये जाने हेतु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक कमेटी गठित की गयीः–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
2. नगर नियोजक, एम0डी0डी0ए0
3. श्री एच0सी0एस0राणा, अधीक्षण अभियंता

उक्त कमेटी आगामी बोर्ड बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

विषय कमांक :–6 शहरी विकास विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

विषय कमांक :–7 भू–उपविभाजन शुल्क के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि प्रस्ताव में निर्मित/नए क्षेत्रों में आवासीय व गैर आवासीय के स्थान पर एकल आवासीय एवं गैरएकल आवासीय क्षेत्र अंकित किया जाये। नए/विकसित क्षेत्र के स्थान पर अन्य समस्त विकास क्षेत्र अंकित किया जाए।

विषय कमांक :–8 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या सी–303/17–18 एवं मानचित्र संख्या सी–304/17–18 की तल वार उचॉई बढ़ाये जाने विषयक ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित द्वारा सैट बैक 12.0 मीटर ऊचाई के अनुसार छोड़े गये है। शमन किये जाने की दशा में भी प्राधिकरण स्तर पर अधिकतम 1.2 मीटर की अतिरिक्त ऊचाई देय है जबकि वांछित 15.0 मीटर की ऊचाई की स्थिति में सैट बैक में परिवर्तन हो जायेगा जबकि मौके पर निर्माणाधीन भवन के सैट बैक में परिवर्तन सम्भव नही है। अतः एफ0ए0आर0 फीज करते हुए अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण उपविधियो में शिथलीकरण होने के कारण शासन स्तर पर ही सक्षमता के कम में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक :-9 नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर विकास क्षेत्र-2 में सम्मिलित राजस्व ग्रामों को (फ्रीज जोन सीमा को छोड़कर)देहरादून विकास क्षेत्र (डी0ए0-1) में सम्मिलित कियेजाने तथा इसमें पर्वतीय क्षेत्र हेतु निर्धारित उपविधि अनुसार मानक लागूरहने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी एवं नगर नियोजन विभाग से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक :-10 सत्संग भवन के मानचित्र पास कराने हेतु सड़क की चौड़ाई में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशनगत पूर्व निर्मित भवन चूंकि 80 वर्ष पुरान है एवं भवन के आस-पास पूर्व से ही भवन बने हुए है तथा रोड वाइडनिंग छोड़े जाने की स्थिति में मात्र इसी भवन के आगे मार्ग की चौड़ाई बढ़ेगी जबकि गली में दोनो ओर पुराने भवन बने है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन दिया गया कि आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की दशा में प्रस्तावित भवन का जो भाग चौड़ीकरण में आता है उसे आवेदक द्वारा स्वयं तोड़ा जाना होगा एवं इस हेतु आवेदक को कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

विषय कमांक :-11 प्राधिकरण द्वारा आवेदकों के स्वीकृत मानचित्रों मे विकास शुल्क आदि समयान्तर्गत जमा नकिये जाने वाले प्रकरणों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में आवेदको को पुनः शासन द्वारा लागू ओ0टी0एस0 स्कीम के तहत आवेदन करना होगा एवं तदानुसार ही प्राधिकरण द्वारा प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

विषय कमांक :-12 प्रदेश के आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवीसय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक :-13 धौलास आवासीय परियोजना की कॉस्टिंग तथा कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

समयाभाव के कारण सभी सदस्यो की सहमति से शेष बिन्दुओ पर चर्चा हेतु दिनांक 19.01.2019 को सचिवालय एस0बी0आई0 भवन के प्रथम तल (आयुक्त महोदय के कक्ष) में नियत की गयी। तदानुसार सभी सदस्यो को लिखित रूप से भी सूचित किया गया।

पुनः दिनांक 19.01.2019 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक के अवशेष बिन्दुओ पर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शैलेश बगोली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः—

उपस्थितिः—

1.	श्री शैलेश बगोली, आयुक्त, गढवाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मसूरी देरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3.	श्री एल0एम0पन्त, संयुक्त सचिव, आवास	प्रतिनिधि
4.	श्री पी0सी0दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
6.	श्री एल0एम0कर्नाटक, अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून	सदस्य
7.	श्री प्रेम सिंह राणा, अनुसचिव, आवास	प्रतिनिधि
8.	श्री रविन्द्र कुमार दयाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम	प्रतिनिधि

विषय कमांक 14 :– आई0एस0बी0टी0 स्थित प्राधिकरण की एच0आई0जी0 योजना के E.O.I प्रस्ताव के सम्बन्ध में, के शेष आवासों के विकय हेतु।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण स्तर से वित्तीय व्यवहारिकता का परीक्षण कर लिया जाये। वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने की दशा में आर0एफ0पी0 का प्रकाशन कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 15 :– तरला नागल, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में सिटी पार्क का निर्माण।

बोर्ड अवगत हुआ एवंप्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 16 :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राजपुर पार्क का सौन्दर्यीकरण।

बोर्ड अवगत हुआ।

विषय कमांक 17 :– देहरादून शहर के अन्तर्गत पूर्व में सम्पादित कराये गये कार्यो में अनुबन्ध राशि से बढोत्तरी होने के कारण प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भविष्य में वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भविष्य में इस प्रकार विचलन पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

विषय कमांक 18 :– रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत बिन्दाल नदी में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड अवगत हुआ एवं प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्तNBCCएवं SRFDCL से किए गए MOU पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 19 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार पूर्व में कराये गये विभिन्न कार्यो की अवस्थापना मद से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नरावृत्ति न की जाये।

विषय कमांक 20 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्टनगर फेस–2 में प्रधान मंत्री आवास योजना से एल0आई0जी0 में उच्चीकृत किये जाने वाले आवेदकों हेतु ब्रोशर निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 21 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर फेस–2 आवासीय योजना में एल0आई0जी0 के आवंटियों की लाटरी ड्रॉ के उपरान्त आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व पंजीकरण धनराशि बिना किसी कटौती के रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 22 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्टनगर फेस–2 आवासीय योजना में एल0आई0जी0 फ्लैटों के विकय न होने के कारण अन्य प्रयोजन हेतु तथा पूर्व परियोजनाओं की भांति 10 : पंजीकरण राशि तथा आवंटन के पश्चात् 30 : आरक्षण धनराशि लेते हुए शेष 60 : धनराशि को 15 साल की आसान मासिक किस्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देशित किया गया कि नवीन व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम लाभार्थियो का चयन लाट्ररी पद्वति से 15 दिन का समय प्रदान करते हुए किया जाये। तदोपरान्त आवश्यकता पड़ने पर पहले आओ पहले पाओ पद्वति से बुकिंग की जाये।

विषय कमांक 23 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आर्किटेक्चर तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी के छात्रों को एम0डी0डी0ए0 फैलोशिप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 24 :– प्राधिकरण में कार्यरत 76 विनियमित किये गये कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर दिये जाने विषयक ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 25 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–0268/17–18 श्रीमती नीरा शर्मा, श्रीमती शिवानी षर्मा एवं श्रीमतीशिप्रा शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 1943,1950,1951 मौजा अजबपुर कंला देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय कमांक 26 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–2058/18–19 मैसर्स लाईफ टाइम कानवेंसनल प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर 8क,8ख,9मि मौजा सिनौला परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून पर कॉमर्शियल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय कमांक 27 :– मौहम्मद इलियास एवं श्रीमतति आलमजॅहा के होटल सम्बन्धी मानचित्र में परिवर्तन/परिवर्धनका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 28 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–आर–2406/15–16 सांगसटेन ग्राम कुल्हान मानसिंह सहस्त्रधारा में निजी पहुॅच मार्ग में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

विषय कमांक 29 :– द अक्षय पात्र फाउंडेषन के प्रोजेक्ट निर्माण हेतु स्थल पर विद्यमान सडक की चौडाई 7.50 मीटर के दृष्टिगत आवष्यक 12.0 मीटर सडक की चौडाई में शिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त परिचालन द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 30 :– शमन मानचित्र पत्रावली संख्या–सीसी–0130/18–19 आर0ई0–1 श्रीमती शालू जेठी पत्नीश्री संजीव जेठी व अन्य द्वारा खसरा नम्बर 1151 मी,1152ख मी, हरिद्वार बाईपास रोड़ मौजा अजपुर खुर्द परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून पर होटल निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि मानचित्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व पुराने निर्माण को ध्वस्त करा लिया जाये एवं तदोपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत किया जाये।

विषय कमांक 31 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0225/18–19 श्री अनुज वर्मा पुत्र श्री पूरन सिंह वर्मा द्वारा खसरा नम्बर 130क मौजा मौहकमपुर खुर्द दून पगना परवादून जिला देहरादून पर कॉमर्षियल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वेसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि वाहनों की कतार न लगे इस हेतु रोड वाइडनिंग के उपरान्त सर्विस लेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा ली जाये।

विषय कमांक 32 :— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0085/18—19 श्री कपिल बंसल पुत्र श्री कैलाश नारायण बंसल द्वारा खसरा नम्बर 115/2(नया नम्बर 166) मौजा ब्राहमणवाला पगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून पर कॉमर्शियल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 33 :— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0111/17—18 श्री शकील अहमद पुत्र श्री मुनव्वर अली द्वारा खसरा नम्बर 35क(पुरानरा नं0—39/2) मौजा सेवलांकला परगना सैन्ट्रल दून जिला देहरादून पर शासन के पत्र संख्या—340/आ—2/104(आ0)17/18 दिनांक 26.12.2018 के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पॉलिटेक्निक क्षेत्र को छोड़ते हुए त्रुटि सुधार हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 34 :— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0077/14—15आरई—8 श्रीमती राकेश धवन पत्नि श्री विजय कुमार धवन द्वारा खसरा नम्बर 69घ — 80क,80ख सम्पत्ति संख्या—178 ग्राम सिनौला मसूरी डायर्वजन रोड (मसूरी बाईपास रोड) जिला देहरादून पर होटल मानचित्र के निर्माण कीस्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रेच्छा की गयी कि पूर्व में बिना बोर्ड की अनुमति के क्यो स्वीकृत किया गया एवं बिना बोर्ड के अनुमोदन के पूर्व स्वीकृत मानचित्रो की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 35 :— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0114/18—19 श्रीमती मोनिका सिंह पत्नि श्री विक्रम सिंह द्वारा खसरा नम्बर 723थ, 729ख ग्राम पौंधा (मेन पौंधा रोड) परगना पछवादून जिला देहरादून पर हॉस्टल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 36 :— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0130/18—19 श्री धर्मेन्द्र सिंह चन्देल आदि द्वारा खसरा नम्बर 846 मौजा अजबपुर खुर्द दून जिला देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देशित किया गया कि भूखण्ड के दोनो ओर स्थित मार्गो में सर्विस लेन का प्राविधान रोड वाईडनिंग छोड़ने के उपरान्त सुनिश्चित किया जाये।

विषय कमांक 37 :— वाद सं0 सी–0369/एस–8/2010 जो कि श्री संजीव कुमार ग्राम सेवला कला जी0एम0एस0 रोड देहरादून के द्वारा निर्मित वैडिंग प्वाइंट के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रोड वाइडनिंग उपरान्त सर्विस लेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये एवं ध्वस्तीकरण योग्य भाग को तोड़ने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत किया जाये।

विषय कमांक 38 :— मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0076/18–19 श्री ओमपाल सिंह राठी द्वारा खसरा नम्बर 127 मौजा कारगी (मैन सहारनपुर हरिद्वार बाईपास रोड) जिला देहरादून में किसान भवन/गैस्ट हाउस के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 39:— खसरा नं0 1327 ख, 1328 ख, 1325, 1327 क मौजा मोथरोवाला दून विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित अनिकेत फार्म के नाम से विवाह स्थल को व्यवसायिक में प्रयोग करने हेतु मार्ग चौड़ाई में शिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मात्र 05 मीटर वास्तविक चौड़े मार्ग की उपलब्धता के कम में 11.0 मीटर चौड़ाई के शिथलीकरण किये जाने से क्षेत्र पर अनावश्यक दबाव मार्ग पर पड़ेगा तदानुसार प्रकरण शासन को तथ्यों से अवगत कराते हुए सूचित किया जाये।

विषय कमांक 40 :— श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री अरूण गुप्ता की भूमि खसरा सं0 26ख, एवं ख0 नं0 27क कुल रकबा 0.4272 है0 स्थित मौजा जमनीवाला जिला देहरादून का भू–उपयोग कृषि/वन भूमिको पर्यटन (होटल/रिसोर्ट) भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनुपूरक विषय

विषय कमांक 1:— जोनिंग रेगुलेशन में आवासीय भू–उपयोग अर्न्तगत बारातघर की अनुमन्यता पर संशोधित प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि आवासीय भू–उपयोग में बारातघर की स्वीकृति ऐसे चौराहों पर न की जाये जहाँ दो मार्ग जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 9.0 मीटर या अधिक हो तदानुसार प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये। आवासीय क्षेत्र में बारात घर की स्वीकृति हेतु पुराने नगर निगम क्षेत्र में 05 प्रतिशत एवं इसके बाहर 07 प्रतिशत उपविभाजन शुल्क लिया जाए, तदानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

विषय कमांक 2:— उत्तराखण्ड मैट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय हेतु आई0एस0बी0टी0 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि को भूमि अध्याप्ति प्रकिया से कय किया गया है। अतः अन्य विभाग को भूमि हस्तान्तरण न की जाये।

विषय कमांक 3:— मानचित्र संख्या सी—0119/18—19 श्रीमती इन्दु मैखुरी पत्नी श्री अनिल मैखुरी व अन्य द्वारा खसरा नम्बर 533ण मौजा नत्थनपुर एवं खसरा नम्बर 1601 मि0 मौजा रायपुर देहरादून (निकट 6 नम्बर पुलिया चौक) (6 नम्बर पुलिया चौक से रायपुर जाने वाली रोड) पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से रोड वाइडनिंग उपरान्त सर्विस लेन छोड़ने के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 4:— देहरादून रेलवे स्टेशन रि—डेवलपमेंट हेतु प्राधिकरण व Rail Land Development Authority से हस्ताक्षरित अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 5:— ISBT बस टर्मिनल योजना हेतु RAMKY से प्राप्त किये जाने वाले लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में।

बोर्ड अवगत हुआ एवं प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्देश दिये गये कि अवशेष वसूली हेतु समुचित प्रयास किये जाये।

विषय कमांक 6:— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0191/18—19 श्री विजेन्द्र पॉल द्वारा खसरा नम्बर 168/1 व 167/2 मौजा बगराल गॉव परगना पछवादून जिला देहरादून में गैस्ट हाउस के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 7:— मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0196/18—19 श्रीमती अर्चना बोहरा व अन्य द्वारा खसरा नम्बर 1109 क मौजा जाखन कैनाल रोड देहरादून पर पैट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि अधीक्षण अभियंता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर मय रिपोर्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विषय कमांक 8:– उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय एवं रूसा परियोजना हेतु देहरादून में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागो से बाजारू दर पर मूल्य प्राप्त कर भूमि हस्तान्तरित की जाये।

विषय कमांक 9:– कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत शहीद दुर्गामल पार्क के 1 वर्ष के रख–रखाव कार्य।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 10:– वन–टाइम सेटलमेंट योजना के तहत शमन/विनियमीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दुः– प्रायः यह देखा जा रहा है कि बड़े व्यवसायिक भवनो, होटल, बारातघर आदि पर वाहनों की कतार लगने से यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः 1500 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डो पर व्सायिक, होटल रिसोर्ट, अस्पताल, बारातघर आदि समस्त प्रकार की गैर आवासीय परियोजना की स्वीकृति से पूर्व रोड वाइडनिंग के उपरान्त सर्विस लेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त/अध्यक्ष,
गढ़वाल मण्डल/मसूरी देहरादून
विकास प्राधिकरण देहरादून।